


राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/आर-220/2018/ दिनांक:-

आदेश


श्रीमती राजेश्वरी शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 31.08.1988 से 08.03.1989 तक 190 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:- 8/2/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/आर-220/2018/ 293

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार उक्त आदेश के प्रभाव का कार्मिका की सेवाभिलेख में इन्द्राज करावें।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड श्रीमाधोपुर (जिला सीकर)।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर